

पश्चिमी यूपी के नशा तस्करों पर पहली बार होगी पटि के तहत कार्रवाई

चर्चा में क्यों?

29 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी यूपी में पहली बार नशा तस्करों पर पटि (द प्रविशन ऑफ इलसिटि ट्रेफिकि इन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिकि एंड सबस्टेंसेस एक्ट-1988) के तहत कार्रवाई होने जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार सहारनपुर से लेकर शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, बजिनौर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर की जेलों में बंद उन तस्करों की फाइल तैयार की जा रही है, जो नशा तस्करों के आदतन अपराधी हो चुके हैं और जेल से बाहर निकलने के बाद वह फिर इसी धंधे में शामिल हो सकते हैं।
- पटि की कार्रवाई के लिये करीब 20 तस्करों की फाइल तैयार की जा रही है। यह कार्रवाई एनटीएफ (एंटी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स) की ओर से कराई जाती है।
- एनटीएफ ने जनि तस्करों की फाइल पटि के लिये तैयार की है, उसे डीएम से कमिश्नर और मुख्यालय भेजा जाएगा। शासन स्तर पर जाँच होगी कि जसि व्यक्ति के खिलाफ पटि की कार्रवाई की फाइल आई है वह कतिनी जायज है। शासन की अनुमति के बाद कार्रवाई की जाएगी।
- पुलिसि उपाधीक्षक एनएनटीएफ मेरठ-सहारनपुर राजेश कुमार के मुताबकि पश्चिमी यूपी में अभी तक ऐसी कार्रवाई नहीं हुई थी। इस कार्रवाई के बाद नशा तस्कर कम से कम एक साल जेल के अंदर रहेगा और जमानत से लेकर अन्य कसिी तरह की याचिका पर कोई वचिार नहीं कथिा जाएगा।
- इसके अलावा नशे के धंधे से उसने जो संपत्ति जुटाई थी, उसे भी सर्वे कर जब्त कथिा जाएगा। यह कार्रवाई उन अपराधियों के खिलाफ कराई जाती है, जनिका जेल में बंद रहना जरूरी हो जाता है।
- उल्लेखनीय है कि पटि की कार्रवाई एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) से मलिती-जुलती है। एनएसए के तहत कसिी भी संदग्धि व्यक्ति को तीन महीने बनिा जमानत के हरिसत में रखा जा सकता है। जरूरत पडने पर तीन-तीन माह की अवधि बढ़ाई जा सकती है, जो अधिकतम एक साल हो सकती है।
- हरिसत में रखने के लिये संदग्धि पर आरोप तय करने की जरूरत नहीं होती। हालाँकि प्रदेश सरकार को यह बताना पडता है कि इस व्यक्ति को जेल में कसि आधार पर रखा गया। यह कार्रवाई शासन के आदेश पर सविलि पुलिसि कर सकती है, जबकि पटि की कार्रवाई सरिफ एनटीएफ कर सकती है।